mer, a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 or under any other law for the time being in force or the Cental or any State Government which makes a complaint in respect of any goods or services and compensation, if any, claimed exceeds Rs. 10 lakhs and appeals against the orders of any State Commission. It can also call for the records and pass appropriate orders in any consumer dispute which is pending before or has been decided by any State Commission where it appears to the National Commission that such State Commission has exercised a jurisdiction not vested in it by law, or has failed to exercise a jurisdiction so created, or has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity.

नई चीनी मिलों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

*172. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई चीनी यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं ? क्या इनमें कोई संशोधन किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री सुख राम) : भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने और वर्तमान चीनी यूनिटों का विस्तार करने के लिए दिनांक 2-1-1987 के प्रैस नोट द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा की थी।

चीनी उद्योग तथा अन्य संबंधितों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई और इनमें दिनांक 11-5-89 के प्रैस नोट द्वारा ढील दी गई। इन प्रैस नोटों की प्रतियां क्रमशः उपाबन्ध-1 और 2 के रूप में संलग्न हैं।

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रैस नोट सं० 1

(1987 सिरीज)

विषय : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

सरकार ने गन्ने के और विकास के लिए संभाव्यता के साथ गन्ने की आश्वासित उपलब्धता के क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और चीनी फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया है।

2. इस संबंध में अपनाए जाने वाले मुख्य मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए जाते हैं :—

(1) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पहले सहकारी क्षेत्र को और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र को लाइसेंस देने की छठी योजनावधि के दौरान अपनाई गई नीति सातवीं योजनावधि में भी जारी रहेगी। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां के लिए इन दोनों क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, उस दशा में निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(2) नयी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मूल कसौटी प्रस्तावित फैक्ट्री स्थान के इर्द-गिर्द के सुसम्बद्ध क्षेत्र में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होगी। गन्ने की खेती के लिए संभाव्यता केवल अतिरिक्त घटक होगा।

(3) ऐसे स्थानों में जहां एक ही जिले में भारी संख्या में चीनी फैक्ट्रियां

स्थित हैं, उस जिले में किसी मौजूदा फैक्ट्री की क्षमता में विस्तार करने अथवा नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के अनुरोध पर विचार करने से पहले राज्य सरकारों को प्रत्येक मौजूदा चीनी फैक्ट्री के लिए गन्ना क्षेत्रों के उचित जोन बनाने चाहिए। राज्य सरकारों को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन ऐसे क्षेत्रों के आरक्षण को विनियमित करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(4) वर्तमान क्षमता और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान यूनिट के 40 किलोमीटर के दायरे में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सामान्यतया कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(5) जहां तक सातवीं योजनावधि के दौरान नए चीनी यूनिटों की प्रारंभिक लाईसेंसशुदा क्षमता और मौजदा यूनिटों के विस्तार के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस का संबंध है, नये यूनिटों को 2500 टी०सी० डी० की प्रारंभिक क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे और गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता की शर्त पर मौजदा यूनिटों में 3500/टी० सी० डी० तक विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी।

मौजूदा यूनिटों में अधिकतम 5000 टी० सी० डी० तक विस्तार करने की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि 3500 टी० सी० डी० के अधीन गन्ने की अतिरिक्त आवश्यकता को बढ़ायी गई उत्पादकता से और न कि गन्ने के अधीन क्षेत्र को बढ़ाकर पूरा किया जाता है।

(6) गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की शर्त को पूरा करने पर पिछड़े हुए क्षेत्र में नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने को अग्रता दी जाएगी।

(7) नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। आवेदन पत्र भेजते समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित फैक्ट्री क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता स्थिति के स्पष्ट और व्यापक ब्यौरों सहित अपनी विशिष्ट सिफारिशें भेजी जानी चाहिएं।

हस्ता०/-
(पी०के०एस० अय्यर)
निदेशक

फा० संख्या 10/133/86-एल०पी०
नई दिल्ली, दिनांक 2-1-1987

प्रेस सूचना ब्यूरो से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रेस नोट का व्यापक प्रचार करें।

प्रेस सूचना ब्यूरो,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

उपाबन्ध-2

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं० 12

(1989 सिरीज)

विषय : सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए चीनी उद्योग में लाइसेंस देने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत।

केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1986 में सातवीं योजना विधि के लिए नयी चीनी लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अधीन सातवीं योजना के दौरान

स्थापित किए जाने वाले नये चीनी यूनिटों की आरम्भिक क्षमता 2500 टी.सी.डी. (गन्ने की प्रतिदिन मीटरी टन पिराई) निर्धारित की गई थी, जबकि पिछली योजना में यह क्षमता 1250 टी.सी.डी. थी। देश परिमाणात्मक मूलक सुलाभ का फायदा उठाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करने के लिए किया गया था। नयी चीनी फैक्ट्री और वर्तमान यूनिटों के बीच स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर रखा गया था जबकि पिछली बार 30 किलोमीटर की दूरी निश्चित की गई थी। इस नीति की घोषणा करने के बाद से इसमें अंतर्ग्रस्त उच्च पूंजीगत लागत और गन्ना उत्पादकों अथवा राज्य सरकारों से अपेक्षित अंशदान की तदनुरूपी उच्चतर मात्रा और प्रारम्भ से ही गन्ने की अधिक मात्रा की आवश्यकता को दृष्टि में विशेषतया औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के संबंध में इन शर्तों में ढील देने के लिए उद्योग, राज्य सरकारों तथा अन्यों द्वारा अभ्यावेदन दिए जा रहे हैं।

2. सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और पांचवीं योजना अवधि के लिए घोषित की गई चीनी लाइसेंसिंग नीति में निम्नानुसार रियायतें देने का निर्णय किया है :—

(क) भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों तथा जिन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गन्ने के विकास के लिए कृषि मौसमी दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित किया गया हो, में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में 1750 टी.सी.डी. की आरम्भिक क्षमता के लिए नयी चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि ये यूनिट उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्षों के अंदर अपनी क्षमता का विस्तार 2500 टी.सी.डी. तक कर लेंगे।

(ख) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 40 किलोमीटर की स्थानिक दूरी को कम कर 25 किलोमीटर किया जा सकता :—

(i) गन्ने की प्रति हेक्टर औसत पैदावार गन्ने की राष्ट्रीय औसत पैदावार से कम कम 20 प्रतिशत तक अधिक होनी चाहिए।

(ii) कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र सी.ओ. जे.—64, सी.ओ.सी.—671 आदि जैसी उन्नत और अधिक सुक्रोज के गन्ने की किस्मों के अधीन होना चाहिए।

(iii) वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान फैक्ट्रियों (गन्ने के और सघन विकास के लिए संभाव्यता सहित) के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना निरंतर उपलब्ध होना चाहिए।

तथापि, ऐसे मामलों में न्यूनतम 2500 टी.सी.डी. की आरम्भिक क्षमता के लिए ही लाइसेंस दिए जाते रहेंगे।

(ग) 2500 टी.सी.डी. की क्षमता के चीनी यूनिटों के लिए इस समय उपलब्ध प्रोत्साहन 1750 टी.सी.डी. के नए यूनिटों के लिए भी आरम्भ में केवल 5 वर्षों के लिए उपलब्ध होंगे।

3. सरकार को आशा है कि इन रियायतों से औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में नये चीनी के यूनिट स्थापित करने में और मदद मिलेगी। स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर से कम कर 25 किलोमीटर कर देने से भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में नये यूनिट स्थापित करने में भी मदद मिलेगी जहां गन्ने की सघन और भूप्रधान खेती की जाती है और जहां 25 किलोमीटर की अरोध दूरी के अंदर भी स्थित अतिरिक्त यूनिटों का पोषण करने के लिए भी पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होता है।

4. सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नए चीनी यूनिट स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों में पर्याप्त विस्तार करने

के लिए लाइसेंस प्रदान करने विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत, जो इस विभाग के दिनांक 2-1-87 के प्रेस नोट द्वारा घोषित किए गए थे, उपर्युक्त संशोधनों के साथ लागू रहेंगे। नये चीनी यूनिटों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए समूचा मार्गदर्शी सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि जिन नये चीनी यूनिटों को लाइसेंस प्रदान किए जाने हैं उनके लिए तथा वर्तमान फैक्ट्रियों के लिए गन्ने के और सघन विकास की संभाव्यता के साथ वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो।

5. नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और मौजूदा यूनिटों का विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन परिषद को भेजने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। आवेदन-पत्र भेजते समय राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न शर्तों को पूरा कर दिया गया है और स्पष्ट सिफारिश तथा सभी मुद्दों के बारे में व्यापक ब्यौरा देना चाहिए।

फा० संख्या 10/133/36-एल० पी०
नई दिल्ली, 11 मई, 1989

प्रेस सूचना ब्यूरो से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रेस नोट में दिए गए तथ्यों का व्यापक प्रचार करें।

हस्ताक्षर
(एस० भटनागर)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रमुख सूचना अधिकारी,
प्रेस सूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली

वाणिज्यिक विज्ञापनों से आय

*173. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान में वर्षवार दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापनों से होने वाली आय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन वाणिज्यिक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विज्ञापन से दूरदर्शन को बड़ी रकम की आय हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) वर्ष 1986–87, 1987–88 और 1988–89 के लिए वाणिज्यिक विज्ञापनों और कार्यक्रमों के प्रायोजन से दूरदर्शन को वर्ष 1986–87 में कुल 98.00 करोड़ रुपये, 1987–88 में 136.3 करोड़ रुपये और 1988–89 में 161.3 करोड़ रुपए की आय हुई।

(ख) दूरदर्शन के 20 अग्रवर्ती विज्ञापनदाताओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
2. फूड स्पेशिय लिटीज लिमिटेड
3. निरमा कैमिकल्स लिमिटेड
4. गोदरेज
5. एम०आर०एफ
6. टाटा
7. कोलगेट पामोलिव
8. बुक बोर्ड
9. बलसारा
10. हिन्दुस्तान कोको प्राडक्ट्स लिमिटेड
11. डनलप
12. प्रोक्टर एण्ड गेम्बल
13. ग्लिंडिया
14. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स
15. जीवन बीमा निगम
16. रिलायन्स
17. मइरो इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
18. पारले
19. एस्कार्टस
20. वीडियोकान